(ड) रोजगार, विशेषकर किल्लत के समय रोजगार के प्रावधान के लिए कार्यों की स्थापना और अनुरक्षण;

(ढ) ग्राम स्थलों का विस्तार और भवन और हाऊसिंग स्कीमों का नियंत्रण;

(ण) मालगोदाम, दुकानों और इसी तरह के अन्य भवनों का निर्माण तथा अनुरक्षण;

(त) समान्य उपयोग और विकास गतिविधियों के लिए भवनों का निर्माण और अनुरक्षण।

3. प्राथमिक और नर्सरी शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में :–

(क) शैक्षणिक संस्थानों का दौरा;

(ख) पूछताछ के लिए उपस्थिति तथा अन्य रजिस्टरों की जाँच और शैक्षिक कमियों तथा गाँव की आवश्यकताओं के बारे में सम्बन्धित प्राधिकरण को रिपोर्ट देना;

(ग) प्राथमिक और पूर्व–प्राथमिक विद्यालयों के वार्षिक बजट पर सिफारिशें प्रस्तुत करना;

(घ) ग्राम परिषद को प्रदत्त शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण और मरम्मत कार्य;

(ङ) विद्यार्थियों की नियमितता; शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यालय कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

4. स्व–रक्षा और ग्राम रक्षा के क्षेत्र में:–

(क) गाँव तथा उसमें उपलब्ध फसलों की देख रेख और स्वैच्छिक संगठनों अथवा इसी तरह के अन्य संगठनों का गठन, प्रोत्साहन और इन संगठनों को सहायता प्रदान करना;

(ख) स्व–रक्षा और ग्राम रक्षा के प्रयोजन के लिए गाँव के युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और ऐसे प्रशिक्षण, जिसे सरकार द्वारा आयोजित किया जा सकता है, को सहायता प्रदान करना;

(ग) आग की रोकथाम, अग्निशमन में सहायता प्रदान करना और आग लगने के समय जीवन और माल की सुरक्षा करना ।